निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1937 (शo)

(सं0 पटना 455) पटना, वृहस्पतिवार, 9 अप्रील 2015

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

3 मार्च 2015

सं0 22 / नि0सि0(सम0)–02–11 / 2011 / 564—श्री रण विजय प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं0–2, झंझारपुर के पदस्थापन अवधि में मुख्य अभियंता, समस्तीपुर परिक्षेत्राधीन बाढ़ 2010 के पूर्व उक्त प्रमंडलाधीन एजेण्डा सं0 101 / 406, 101 / 408 एवं 101 / 409–410 के तहत कराये गये बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों की जॉच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त एजेण्डा सं0 101 / 406 एवं 101 / 409–410 के तहत कराये गये परक्यूपाईन लेईंग कार्यों में निर्धारित साईज के Nut bolt की जगह लोहे के तार का उपयोग कर विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं कराये जाने के कारण सम्पादित कार्य क्षतिग्रस्त होने एवं सरकारी राजस्व की क्षति पहुॅचाने के लिए श्री रण विजय प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं0–2, झंझारपुर को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए विभागीय पत्रांक 768 दिनांक 11.07.12 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।

श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त परक्यूपाईन लेईंग कार्य में निर्धारित साईज के Nut bolt की जगह लोहे के तार का उपयोग कर विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं कराने का आरोप प्रमाणित पाया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सिंह को विभागीय अधिसूचना सं0 552 दिनांक 09. 05.13 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया :–

1. एक वेतन प्रक्रम पर एक वर्ष के लिए अवनति।

उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री रण विजय प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया जिसमें मुख्य तथ्य निम्न है :–

1. विभागीय कार्य सम्पादन के एक वर्ष बाद कुछ परक्यूपाईन का नट बोल्ट किसी असामाजिक तत्वों द्वारा खोले जाने की घटना को मेरे संज्ञान में कभी नहीं लाया गया। उपलब्ध कराये गये फोटोग्राफ सम्पादित कार्य को सुरक्षित एवं प्रभावकारी अद्यतन स्थिति को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। तब कार्य प्रारंभ करने के पूर्व के रिक्त स्थानों का फोटोग्राफ्स का कोई मतलब नहीं रह जाता है।

2. संगत प्रमाणित तथ्यों को नकारते हुए, असंगत, अप्रमाणित, असम्बद्ध एवं अनुभावित नई बात को खड़ाकर वैधानिक प्रक्रियाओं एवं प्रावधानित तरीकों को अपनाये बिना ही मनमाना दण्ड संसूचित कर देना न्याय के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। प्रस्तावित दण्ड के पूर्व सूचना और विवादित प्रश्नों पर सफाई का अवसर भी नहीं दिया गया।

3. मैं दिनांक 31.07.2013 को ही सेवानिवृत हो गया हूॅ।

श्री सिंह से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि पुनर्विलोकन अर्जी में वही तथ्य एवं साक्ष्य दिया गया है जो पूर्व के स्पष्टीकरण में श्री सिंह द्वारा दिया गया था। इसके अतिरिक्त कोई नया तथ्य उद्धृत नहीं किया गया है। पूर्व की समीक्षा में असामाजिक तत्वों द्वारा परक्यूपाईन लेईंग में लगे नट बोल्ट को खोल लिए जाने की स्थिति में क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा एफ0 आई0 आर0 अथवा सनहा दर्ज नहीं करने तथा कार्य के प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य सम्पादन अवधि में तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त कुल तीन Stage का स्पष्ट फोटोग्राफ्स उपलब्ध नहीं कराने के आधार पर परक्यूपाईन लेईंग कार्य में नट बोल्ट के स्थान पर तार बांध कर विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं कराने के आरोप को प्रमाणित पाया गया है। पुनर्विलोकन अर्जी के साथ उपरोक्त दोनों बिन्दुओं संदर्भित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे परिलक्षित हो सके कि असामाजिक तत्वों द्वारा नट बोल्ट खोल कर चोरी की गयी हो। इस प्रकार समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिंह द्वारा अपने पुनर्विलोकन अर्जी में ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया है जिसके आधार पर कोई नया निर्णय लिया जा सके।

अतः श्री सिंह द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए पूर्व के संसूचित दण्ड ''एक वेतन प्रक्रम पर एक वर्ष के लिए अवनति'' को यथावत रखने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

श्री रण विजय प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत के पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत किया गया है तथा पूर्व के संसूचित दण्ड ''एक वेतन प्रक्रम पर एक वर्ष के लिए अवनति'' को यथावत रखा गया है।

यह श्री रण विजय प्रसाद सिंह को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 455-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in